न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–सुनिता चौधरी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 658/2025

अपीलांट

खेमसिंह पुत्र नरसिंह
जाति माली, गहलोत, निवासी
पदाला बेरा, मण्डोर, जोधपुर

बनाम

रेस्पोडेन्ट

1. सोहनसिंह पुत्र गोबरराम उर्फ गोविन्दसिंह गहलोत, निवासी खोखरिया बेरा मण्डोर, जोधपुर
2. चंदीया पुत्री गोबरराम पत्नी ब्रह्मसिंह कच्छावाह, जाति माली, निवासी बगताराम जी का बेरा, मण्डोर, जोधपुर
3. स्व0 खेमसिह पुत्र गोबरराम के वारिसान–
   - 3/1 भगवती पत्नी स्व0 खेमसिंह
   - 3/2 विनोद पुत्र स्व0 खेमसिंह
   - 3/3 चेतन पुत्र स्व0 खेमसिंह
     (सभी जाति माली, निवासी खोखरिया बेरा की पाल, मण्डोर जोधपुर)
   - 3/4 ललिता पुत्री स्व0 खेमसिंह पत्नी नरपतसिंह परिहार, जाति माली निवासी भाकर बारा, बासनी तम्बोलिया, जोधपुर
   - 3/5 मंजू पुत्री स्व0 खेमसिंह पत्नी लालसिंह, जाति माली निवासी मालियों की गली, सुरसागर, जोधपुर
   - 3/6 रेखा पुत्री स्व0 खेमसिंह पत्नी महेश, जाति माली, निवासी फुलबाग, मण्डोर, जोधपुर
   - 3/7 मोनिका पुत्री खेमसिंह पत्नी बलवन्तसिंह, जाति माली निवासी बालसमन्द, मण्डोर जोधपुर
   - 3/8 कान्ता पुत्री स्व0 खेमसिंह पत्नी अरविन्द जाति माली निवासी नागोरी बेरा, मण्डोर जोधपुर
4. स्व0 प्रेमसिंह पुत्र गोबरराम के कायम मुकाम–
   - 4/1 गुलाब देवी पत्नी स्व0 प्रेमसिंह
   - 4/2 लूणसिंह पुत्र स्व0 प्रेमसिंह
   - 4/3 भूरसिंह पुत्र स्व0 प्रेमसिंह
   - 4/4 कालूसिंह पुत्र स्व0 प्रेमसिंह
     (जाति माली, निवासी खोखरिया बेरा की पाल, मण्डोर जोधपुर)

18/12/25
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

4/5 निर्मला पुत्री प्रेमसिंह पत्नी नेमीचन्द जाति माली निवासी रामसागर बेरा, मगरा पूंजला, जोधपुर
4/6 राजू पुत्री प्रेमसिंह पत्नी अरविन्द जाति माली, निवासी परिहारों का बास, मगरा पूंजला, जोधपुर
4/7 पुष्पा पुत्री प्रेमसिंह पत्नी जितेन्द्र जाति माली, निवासी फुलबाग, मण्डोर, जोधपुर

5. स्व0 अर्जुनसिंह पुत्र गोबरजी के वारिसान–
5/1 सुशीला पत्नी स्व0 अर्जुनसिंह
5/2 पंकज पुत्र स्व0 अर्जुनसिंह
(सभी जाति माली निवासी खोखरिया बेरा की पाल, मण्डोर जोधपुर)
5/3 विनीता पुत्र अर्जुनसिंह पत्नी बलवीरसिंह जाति माली निवासी मदेरणा कॉलोनी, जोधपुर
5/4 पूजा पुत्री अर्जुनसिंह पत्नी विपिन जाति माली निवासी नयाबास, मगरा पूंजला, जोधपुर
5/5 कुसुम पुत्री अर्जुनसिंह पत्नी स्व0 ओंकारसिंह जाति माली निवासी खोखरिया बेरा की पाल, मण्डोर जोधपुर

6. स्व0 भंवरीदेवी पुत्री गोबरराम पत्नी सोहनसिंह भाटी निवासी चेनपुरा बावडी, मण्डोर, जोधपुर के वारिसान–
6/1 दीपीका पुत्री स्व0 महेन्द्रसिंह पुत्र सोहनसिंह, पत्नी तरूण जाति माली, निवासी दर्जीयों का बास, मगरा पूंजला, जोधपुर
6/2 दलपतसिंह पुत्र सोहनसिंह जाति माली निवासी चेनपुरा बावड़ी, मण्डोर, जोधपुर
6/3 गीता पुत्री सोहनसिंह पत्नी हरिसिंह जाति माली निवासी लाला का बेरा, मण्डोर, जोधपुर
6/4 बेबी पुत्री सोहनसिंह पत्नी रतन सिंह गहलोत, जाति माली निवासी शिकार बेरा, आरटीओ ऑफिस के पीछे, जोधपुर

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

6/5 शारदा पुत्री सोहनसिंह पत्नी
प्रकाश जाति माली, निवासी
आमली बेरा, मण्डोर, जोधपुर
6/6 गुडडी पुत्री सोहनसिंह पत्नी
भारतसिंह माली निवासी सांखलों
का बास, मगरा पूंजला, जोधपुर
7. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार
जोधपुर
8. जल संसाधन विभाग, उपखण्ड
जोधपुर जरिये सहायक अभियन्ता,
लाल सागर, जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956, विरूद्ध आदेश दिनांक 26.08.1985 अतिरिक्त कलेक्टर, कृषि भूमि रूपान्तरण, जोधपुर प्रकरण संख्या 84/85 गोबरराम उर्फ गोविन्दराम बनाम सरकार

उपस्थिति –
1. श्री सिद्धार्थ परिहार, वकील अपीलांट
2. श्री बाबूलाल विश्नोई, वकील रेस्पो0सं0 3/2 व 3/3
3. श्री नरपतसिंह राजपुरोहित, वकील रेस्पो0सं0 4/4
4. रेस्पो0सं0 8 स्वयं

निर्णय

दिनांक 18.12.2025

उक्त अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत अतिरिक्त कलेक्टर, कृषि भूमि रूपान्तरण, जोधपुर द्वारा राजस्थान भू–राजस्व (नगरीय क्षेत्र में कृषि भूमि का आवासीय एवं वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ आंवटन संपरिवर्तन एवं नियमितिकरण) नियम, 1981 के अंतर्गत प्रकरण संख्या 84/85 अनवान गोबरराम उर्फ गोविन्दराम बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 26.08.1985 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

अपील के साथ अपीलांट की ओर से मियाद अधिनियम की धारा 05 के प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर, अपील पेष करने में हुए विलंब को क्षमा करने हेतु निवेदन किया गया। साथ ही एक अन्य प्रार्थना पत्र अपील प्रस्तुत करने की अनुमति हेतु अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

उक्त अपील मियाद अधिनियम की धारा 05 के प्रार्थना पत्र/शपथ पत्र एवं अपील पेश करने की अनुमति के प्रार्थना पत्र बाबत निर्णय को सुरक्षित रखते हुए अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा बहस सुनी गई।

18/12.
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

दौरान बहस वकील अपीलांट ने अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए मुख्यतः यह कथन किया कि तहसील जोधपुर के ग्राम मण्डोर द्वितीय के खसरा नम्बर 856/1 एवं 855 व 858 की भूमि अपीलांट की सह–खातेदारी की है। खसरा नं0 856/1 के पास खसरा नम्बर 856 की भूमि सिंचाई विभाग की खातेदारी में है। यह भूमि खोखरिया बेरा के पास स्थित है, जो एक छोटे बांध के रूप में है। बरसात का पानी इसके भरने पर बहकर सुरपुरा बॉध में जाता है, इसका कुल रकबा 01 बीघा 11 बिस्वा शुरू से है। सिंचाई विभाग के खाते में मण्डोर में कुल 125 बीघा 18 बिस्वा जमीन आई हुई है। इस खाते की जमाबंदी में अन्य खसरा नम्बर के साथ ख0नं0 856 भी शामिल है। कुछ समय से खसरा नं0 856 की जमीन पर आस–पडौस के लोगों ने अतिक्रमण का प्रयास किया तो सिंचाई विभाग ने समय–समय पर उनके विरूद्ध उचित कार्यवाही के लिए जिला प्रशासन एवं अन्य संबंधित अधिकारियों से पत्राचार किया एवं समाचार पत्रों में भी इसके बारे में प्रकाशन करवाया गया। हाल ही में रेस्पो0सं0 4/4–कालूसिंह पुत्र प्रेमसिंह द्वारा ख0नं0 856 की भूमि के पट्टे के आधार पर अपीलांट की भूमि ख0नं0 856/1 को ख0नं0 856 की भूमि बताकर कब्जा एवं निर्माण कार्य कर रहा है, जिसका उसे कोई अधिकार नही है। इसके द्वारा दिनांक 20.5.25 को अपीलार्थी के ख0नं0 856/1 पर निर्माण सामग्री डालने का प्रयास किया गया, जिसका एतराज करने पर उसने इस भूमि के पट्टे की फोटो कॉपी अपीलार्थी को बताई, जिसमें ख0नं0 856 लिखा हुआ था। इसके बाद अपीलार्थी के बहुत प्रयास करने पर दिनांक 28.5.25 को उक्त पत्रावली का पता चलने पर उसी दिन संपूर्ण पत्रावली की नकल दरखास्त लगवाई गई, दिनांक 11.7.25 को उसे नकल उपलब्ध करवायी गई। इसके बाद सिंचाई विभाग से जरूरी जानकारी एवं दस्तावेज प्राप्त उक्त अपील दिनांक 24.7.25 को पेश की गई। अपीलांट अपीलाधीन आदेश दिनाक 26.08.1985 से पीडित पक्षकार होने से उसे अपील प्रस्तुत करने का पूर्ण अधिकार है।

इस संदर्भ में सहायक अभियंता जल संसाधन, उपखण्ड जोधपुर द्वारा श्रीमान कलेक्टर मुद्रांक जोधपुर को प्रेषित पत्र दिनांक 14.11.23 की संलग्न पृठांकित प्रति के अनुसार ख0नं0 856 में जारी पट्टों के हस्तांतरण संबंधी दस्तावेजों का पंजीयन नही करने का आग्रह करते हुए इनके विरूद्ध विभिन्न न्यायालयों में पट्टे निरस्त करने की कार्यवाही विचाराधीन होने का उल्लेख किया हुआ है।

अतिरिक्त कलेक्टर, (भू.रू.) जोधपुर ने अपीलाधीन आदेश पारित करने में कानूनी एवं वाक्याती भूल की गई है। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व मौके पर विधिवत कोई जांच नही की गई। ख0नं0 856/1 व 855 की भूमि अपीलार्थी के पिता स्व0 नरसिंहजी के खातेदारी की है तथा ख0नं0 856 गै0मु0 धोरा है, जो सिंचाई विभाग नाम दर्ज है। इस प्रकार

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

किसी भी सूरत में उक्त तीनों खसरों में से किसी भी खसरे बाबत कोई रूपान्तरण आदेश पारित नही किया जा सकता था। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भूमि सांपरिवर्तन संबंधित 1981 के नियमों के नियम 4 व 5 का गलत अर्थ निकाला गया। जिस भूमि बाबत रूपान्तरण आदेश पारित किया गया है, उस पर किसी तरह का कोई निर्माण रेस्पो0 का नही था, पत्रावली में सर्वेदल रिपोर्ट में जो निर्माण होने का उल्लेख है, वह सरासर गलत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस रिपोर्ट के आधार पर कुल 1155.05 वर्गगज का पट्टा जारी करने का आदेश पारित कर दिया। नियम 4 व 5 में स्पष्ट प्रावधान है कि जो सरकारी भूमि किसी विभाग के अधीन हो, उसका रूपान्तरण नही किया जा सकता। अपीलाधीन आदेश में जिला स्तरीय समिति के जिस निर्णय का उल्लेख है, वैसा कोई निर्णय न तो कभी लिया गया एवं न ही लिया जा सकता था। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व मौके पर कोई पैमाईश नही की गई, रेस्पो0 द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ अपनी मनमर्जी से पेश नक्शे के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया। उक्त समस्त कार्यवाही स्व0 गोबरराम द्वारा बिना किसी कब्जे व निर्माण के बाले–बाले की गई, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जल्दबाजी में नियमों को नजर अंदाज करते हुए समस्त कार्यवाही की गई है।

अतः अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करने एवं प्रथम जानकारी से अपील अन्दर मियाद शुमार करावे। रेस्पो0सं0 4/4 गोबरराम के नाम अति0 कलेक्टर (भूमि रूपान्तरण) जोधपुर द्वारा दिनांक 26.08.1985 को जारी पट्टे की आड़ में, अपीलांट की भूमि ख0नं0 856/1, 855, 858 एवं सिंचाई विभाग के ख0नं0 856 पर निर्माण कार्य कर रहा है। प्रकरण में मुख्य प्रत्यर्थी–रेस्पो0सं0 3/2 व 3/3 तथा 4/4–कालूसिंह जरिये अधिवक्ता उपस्थित है, शेष रेस्पो0 के नोटिस तामिल अथवा अदम तामिल अप्राप्त है। अतः प्रकरण में जरिये अधिवक्ता उपस्थित मुख्य प्रत्यर्थीगण की धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र एवं मियाद अधिनियम की धारा 05 के प्रार्थना पत्र/शपथ पत्र पर सुनवाई कर, अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों को स्वीकार कर, मौके पर चल रहे निर्माण कार्य को रोकने हेतु अपीलाधीन आदेश की पालना एवं प्रभाव को स्थगित कराने का आग्रह किया गया।

जवाब में प्रत्यर्थी अधिवक्ताओं ने रेस्पो0–कालूसिंह की ओर से लिखित में जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम प्रस्तुत कर इसमें उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह निवेदन किया कि प्रार्थी–अपीलांट को उत्तरदाता के पक्ष में जारी

पट्टे की जानकारी शुरू से रही है। प्रार्थी ने वर्ष 1985 में जारी पट्टे को लगभग 40 वर्ष पश्चात हस्तगत अपील के द्वारा चुनौति दी गई है। उक्त विलंब की अवधि किसी भी रूप क्षमा योग्य नही है। अपीलार्थी ने प्रार्थना पत्र एवं मीमों ऑफ अपील में विलंब का क्षमा करने योग्य कोई संतोषप्रद कथन नही किया है, केवल मात्र यह कथन किया है कि अपीलार्थी की भूमि पर निर्माण सामग्री डालने का प्रयास करने पर उसे प्रथम जानकारी हुई। जबकि अपीलार्थी की भूमि एवं प्रत्यर्थी की पट्टासुदा भूमि पहले से ही अलग–अलग है। प्रत्यर्थी जहां निर्माण कर रहा है, वहां पुराना मकान बना हुआ था, जो जर्जर हो जाने से उसकी जगह नया निर्माण करवा रहा है। निर्माणाधीन भू–भाग के एक तरफ पक्का मकान बना हुआ है, दूसरी तरफ भूखण्ड चार दीवारी से घिरा हुआ है व पीछे की तरफ पट्टीयें खड़ी कर रखी है। सड़क की तरफ जो दीवार थी, उसको हटाकर निर्माण शुरू किया है, जो निर्माण पूरा भी हो गया है। उक्त निर्माण माह मार्च, 2025 में शुरू किया था। उस वक्त अपीलार्थी, प्रत्यर्थी के पास आया व भूखण्ड का बेचान करने बाबत कहा। उस समय अपीलार्थी के पास वो तमाम दस्तावेज थे, जिसके आधार पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की है। प्रत्यर्थी ने बेचान से इंकार करने पर उसके द्वारा पुलिस में शिकायत की गई, दोनो पक्षों को थाने में बुलाया गया व दस्तावेजो को देखने के बाद प्रत्यर्थी को शिकायत से मुक्त किया गया। अपीलार्थी द्वारा एक तरफ अपीलाधीन आदेश को गलत बताकर न्यायालय हाजा के समक्ष उक्त अपील प्रस्तुत की गई है, दूसरी तरफ न्यायालय सहायक कलेक्टर जोधपुर में प्रस्तुत राजस्व वाद संख्या 109/2025 में अपनी खातेदारी भूमि पर कब्जा कर, प्रत्यर्थी द्वारा निर्माण करने का कथन पर सहायक कलेक्टर जोधपुर द्वारा दिनांक 18.8.25 को यह स्थगन आदेश पारित करवा लिया कि "अपीलांट के भू–भाग पर प्रत्यर्थी किसी प्रकार का निर्माण कार्य न तो स्वयं करे और न ही अन्य किसी से करावे।" अर्थात जिस भूभाग के पट्टे को प्रश्नगत किया जा रहा है, उसे वह अपनी खातेदारी भूमि बता रहा है एवं हस्तगत अपील में इसे सरकारी भूमि बता रहा है। यह बिन्दु साक्ष्य का मोहताज है, जिसे अपील के जरिये निर्णित नही किया जा सकता है। सहायक कलेक्टर जोधपुर के आदेश दिनांक 18.8.25 के विरूद्ध प्रत्यर्थी द्वारा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर में दर्ज अपील संख्या 256/2025 में अपीलांट बतौर केवियटर उपस्थित रहा तथा सभी बिन्दुओं पर विश्लेषण के उपरांत "अपीलीय आदेश दिनांक 18.8.25 की पालना एवं प्रभाव को स्थगित कर दिया गया।" उक्त आदेश के

सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

रूद्ध अपीलांट ने एक तरफ माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर में निगरानी प्रस्तुत की तथा दूसरी तरफ माननीय राज0 उच्च न्यायालय जोधपुर में रिट याचिका संख्या 18425/2025 प्रस्तुत की गई, जिसमें मा0 उच्च न्यायालय द्वारा नोटिस जारी करने के आदेश दिये गये है। अपीलांट का उद्धेश्य मात्र प्रत्यर्थी को परेशान करने का रहा है। अपीलांट जल संसाधन कार्यालय से जारी पत्र दिनांक 14.11.23 एवं भिन्न–भिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों की प्रतियां अपील के साथ प्रस्तुत कर रहा है, जिनके प्रकाशन की तिथि से भी परिसीमा बाधित है। इसके अलावा अपीलांट ने जल संसाधन विभाग के पत्र दिनांक 16.3.15, नगर निगम (उत्तर) जोधपुर द्वारा जारी पट्टा दिनांक 18.9.23, जो उप पंजीयक द्वितीय जोधपुर के कार्यालय में पंजीबद्ध है तथा भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र दिनांक 25.4.25 की प्रतियां भी प्राप्त की है, जिनकी गणना से भी अपील परिसीमा से बाधित है। जिन्हें क्षमा किए जाने के कोई आधार अपीलांट ने प्रार्थना पत्र में नही बताये है। प्रत्यर्थी को जारी पट्टा खसरा संख्या 856 का है, अतः अपीलांट एग्रीव्ड नही है। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलांट की जमीन पर पत्थर डाले तो राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183 में कार्यवाही हेतु रेमेडी उपलब्ध है।

अपीलांट का खसरा संख्या 856/1 है, इसलिए खसरा संख्या 856 के बारे में उसे बोलने का अधिकार नही है और न ही उसके हित प्रभावित होते है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश वर्ष 1985 का है और लगभग अपील 40 साल बाद सन् 2025 में उक्त अपील पेश की गई है। विलंब के जो कारण अपीलांट ने धारा 05 के प्रार्थना पत्र में अंकित किए है, वे संतोषजनक व पर्याप्त नही है। अपीलांट ने लिखा है कि उसके भूखण्ड पर खण्डे डालने से अपीलाधीन आदेश की जानकारी हुई, जबकि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व पत्रावली पर ली गई मौका रिपोर्ट में रेस्पो0 के पक्के मकान निर्मित होना बता रखा है। खसरा संख्या 856 का रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा है और रेस्पो0 के हक में 1155.5 वर्गगज का पट्टा दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 26.08.1985 "जिला स्तरीय समिति" से निर्णय होकर राजकीय भूमि की कीमत लेकर नियमन का निर्णय हुआ था। भूमि संपरिवर्तन संबंधित 1981 के नियमों के नियम 3(1) में जहां आवासी मकान बने हो, और काबिज नियमन हो, वहा प्रतिबंध लागु नही होते है। अपीलाधीन आदेश में रेस्पो0सं0 1 के दादा आसूजी के नाम 32 साल से कब्जा साबित माना गया है। मास्टर प्लान में भू उपयोग आवासीय तथा विवादग्रस्त भूमि को जोन संख्या 5 में बताया

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

या है। अपीलांट रूपान्तरण आदेश के खिलाफ अपील में आये है तो रूपान्तरण आदेश के संबंध में रूपान्तरण आदेश को चुनौती देकर आना चाहिए। नियम 3(3) में रेस्पो0 का केस कवर हुआ तथा जिला स्तरीय समिति से स्वीकृत होकर शास्ति, भूमि की कीमत व रूपान्तरण शुल्क लिए जाकर पट्टा जारी किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की फाइण्डिंग नियम 4 व 5 के प्रतिबंधों से प्रभावित नही है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय उचित होने से अपील खारिज योग्य है। अपीलांट द्वारा लगभग 40 साल के बाद विलंब से प्रस्तुत उक्त अपील में उसका प्रत्यक्ष हित सिद्ध नही है। अतः मियाद बिन्दु पर ही अपील खारिज फरमाने का आग्रह किया गया।

रेस्पो0सं0 8–(सिंचाई विभाग) द्वारा दिनांक 20.11.25 को अपना लिखित पक्ष प्रस्तुत किया गया। जिसमें मुख्यतः यह उल्लेख किया गया कि ग्राम मण्डोर द्वितीय के ख0नं0 856 मूल रकबा 01.11 बीघा किस्म गैर मुमकिन धोरा जमाबंदी में सिंचाई विभाग के नाम शुरू से दर्ज रही है। उक्त भूमि के कुछ भाग का गैर कानूनी रूप से रूपान्तरण किया जाकर आबादी के पट्टे जारी कर दिये जाने से सिंचाई विभाग का रकबा जमाबंदी में 17 बिस्वा शेष रहा है। इस बारे में रेकर्ड एवं मौके की जानकारी प्राप्त करने पर ज्ञात हुआ कि रेकर्ड में दर्ज रकबे से कई अधिक क्षेत्र के पट्टे लगभग 43,000 वर्गफुट भूमि के पट्टे जारी कर दिये गये एवं उन पट्टों के आधार पर, मौके पर निर्माण कार्य अलग–अलग व्यक्तियों द्वारा प्रारम्भ कर सिंचाई विभाग की जमीन पर जबरन कब्जा कर, सिंचाई विभाग को बेदखली का प्रयास किया जा रहा है। इस प्रकार गैर कानूनी पट्टों की आड़ में सिंचाई विभाग की भूमि पर नाजायज कब्जा कर जबरन निर्माण कार्य किया जा रहा है। जो न्यायहित में रूकवाया जाकर, मौके पर नाजायज कब्जाधारियों को बेदखल कर सिंचाई विभाग को पुनः उसकी 01.11 बीघा भूमि पर काबिज करवाया जाना जरूरी है। अतः मौके पर किए जा रहे निर्माण कार्य को रूकवाने एवं गैर कानूनी पट्टाधारियों को बेदखल कर, सिंचाई विभाग की भूमि पुनः सिंचाई विभाग को सुपुर्द करवाने का आग्रह किया गया।

उभय पक्ष की बहस पर मनन करने एवं अपील व उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन करने के उपरांत, अपीलांट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने की अनुमति दी जाती है, परंतु अपील पत्रावली के अवलोकन से हम यह पाते है कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.08.1985 के खिलाफ

सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

पीलांट द्वारा लगभग 40 साल के बाद विलंब से दिनांक 24.07.2025 को यह अपील पेश की गई है, विलंब को माफ करने हेतु अपीलांट द्वारा धारा 05 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, उसमें विलंब का दर्शाया गया कारण संतोषजनक नही है।

इसके अलावा स्वयं अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात में इसी ख0नं0 856 में अतिरिक्त कलेक्टर (भू0रू0) जोधपुर द्वारा प्रकरण संख्या 83/1985 में पारित आदेश दिनांक 26.8.85 के विरूद्ध न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर में प्रस्तुत अपील संख्या 64/2011 में पारित निर्णय दिनांक 19.6.12 के खिलाफ माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में प्रस्तुत अपील संख्या 5416/2012 एवं इसमें दिनांक 11.7.25 तक की आदेशिकाओं की प्रतियां एवं फोटोग्राफ प्रस्तुत किए गये। माननीय राजस्व मण्डल में उक्त अपील मोहीनी देवी पत्नी नरसिंह जी माली गहलोत, निवासी पदाला बेरा मण्डोर जोधपुर द्वारा दिनांक 26.6.12 को प्रस्तुत की गई है तथा हस्तगत अपील खेमसिंह पुत्र नरसिंह जी जाति माली गहलोत निवासी पदाला बेरा द्वारा प्रस्तुत की गई है, जिससे साबित है कि इस खसरान में जारी पट्टों के विरूद्ध उनकी माता द्वारा वर्ष 2011 से चाराजोही की जा रही है व इसकी जानकारी उन्हें पूर्व से भलीभांति है।

प्रकरण में रेस्पो0सं0 8–जल संसाधन (सिंचाई विभाग), उपखण्ड जोधपुर द्वारा प्रस्तुत लिखित पक्ष भी अत्यधिक विलंब एवं समय पूर्व विभाग स्तर से चाराजोही का अभाव दर्षाता है।

अतः उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अपील के साथ प्रस्तुत भारतीय समय सीमा अधिनियम की धारा 05 का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है और अपील मियाद बाहर शुमार की जाती है। अपील के गुणावगुण पर विचार किये बिना, मियाद के बिन्दु पर ही उक्त अपील खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 18/12/25 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

18/12/25

(सुनिता चौधरी)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर